दिल्ली विकास प्राधिकरण
(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2025

फाइल सं. पीएलजी/एमपी/0009/2021/एफ.19/–ओ/ओ एडीडीएल. सीओएएमएमआर (पीएलजी–पीआरओजे एमपीएमआर) – दिल्ली विकास प्राधिकरण/ केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–क के अंतर्गत मुख्य योजना –2021/जोन पी-I (नरेला उप–नगर) की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से **तीस (30) दिन** की अवधि के अंदर **citzservices.dda.org.in** ऑनलाइन पोर्टल अथवा ई–मेल के माध्यम से **mpd2021.public@dda.org.in** पर या लिखित रूप से आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी'– ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई–मेल आईडी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधनः

अवस्थिति	क्षेत्रफल (एकड़)	दिल्ली मुख्य योजना 2021/ जोन पी– I की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	परिवर्तित भूमि उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
सैक्टर जी–7/जी–8 नरेला	10.71	आवासीय	सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	**उत्तरः** 40 मी. मार्गाधिकार सड़क **दक्षिणः** विश्वविद्यालय के प्लॉट के लिए निर्धारित भूमि **पूर्वः** 40 मी. मार्गाधिकार सड़क **पश्चिमः** 20 मी. मार्गाधिकार सड़क

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निरीक्षण के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निम्नलिखित लिंक अर्थात **https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2025** और **http://164.100.63.104/mpd-2021-public-notices-2025** पर उपलब्ध है।

सुरेन्द्र कुमार मीणा,
आयुक्त एवं सचिव

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट **www.dda.gov.in** देखें या टोल फ्री नं. **1800-110332** डायल करें

ddaofficial official_dda official_dda_ पर हमें फॉलो करें